

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक—एसपीएमयू/मा०स्वा०/सु०गर्भ०से०/104/2013-14/1400-75

दिनांक ०२.०७.२०१३

विषय— सुरक्षित गर्भपात अधिनियम 1971 के अन्तर्गत सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिशा—निर्देश।

महोदय,

हमारे प्रदेश में असुरक्षित गर्भपात के फलस्वरूप होने वाली मातृ मृत्यु का प्रतिशत 8.9 है। देश में प्रतिवर्ष लगभग 15 हजार माताओं की मौत असुरक्षित गर्भपात से हो जाती है। उत्तर प्रदेश की 80 प्रतिशत महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में जानकारी का अभाव है, साथ ही गर्भनिरोधकों के प्रभावी उपयोग का प्रचलन भी कम है इसलिए अनचाहे गर्भधारण की सम्भावना बढ़ जाती है। सुरक्षित गर्भपात सेवाएँ भी अधिकतर शहरी क्षेत्रों में ही उपलब्ध हैं। प्रदेश में केवल 25 प्रतिशत गर्भपात सरकारी केन्द्रों में होते हैं और वे ही रिपोर्ट किये जाते हैं शेष 75 प्रतिशत गर्भपात प्राइवेट क्लीनिकों में होते हैं जिसमें अधिकतर सुरक्षित गर्भपात सेवाओं के लिये अधिकृत नहीं हैं और पंजीकरण न होने के कारण न ही उनके आँकड़े प्राप्त होते हैं और न ही उनकी गुणवत्ता मानकानुसार होने का पता लगता है। इन क्लीनिकों में सेवाएँ भी इतनी मँहगी होती हैं कि ग्रामीण गरीब महिलायें इस खर्च को वहन नहीं कर पातीं।

चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम 1971, अमेन्डमेन्ट 2002-03 के अन्तर्गत हमारे देश में गर्भपात कानूनन वैध है। किन्तु सुरक्षित गर्भपात को कानूनी वैधता दिये जाने के 40 वर्षों बाद भी ग्रामीण अँचलों में स्थापित ब्लाक स्तरीय इकाईयों पर सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं।

प्रत्येक जिले पर मुख्य चिकित्साधिकारी के अधीन एक कमेटी (डी०एल०सी०) का गठन किया गया है जो सभी सरकारी व निजी चिकित्सालयों तथा चिकित्सकों का मानकों के अनुसार परीक्षण व पंजीकरण करती है। सुरक्षित चिकित्सकीय गर्भपात सेवाएं प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता चिकित्सकों, निजी क्लीनिकों व चिकित्सालयों को इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत व विनियमित किया जाता है। इस समिति को क्रियाशील किये जाने हेतु एक कार्यशाला 8-9 अप्रैल 2013 को राज्य स्तर पर आयोजित की गयी थी जिसमें सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यशाला में सभी जनपदों द्वारा अपने जनपद में डी०एल०सी० के गठन एवं क्रियाशील किये जाने हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की गयी थी। वर्ष 2013-14 के लिये एन०आर०एच०एम० की राज्य कार्ययोजना में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु निम्न व्यवस्थाएं स्वीकृत की गयी हैं—

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राज्य कार्यकारी योजना 2013-14 में प्रदेश में सुरक्षित विधियों द्वारा गर्भपात सेवाएं उपलब्ध कराएं जाने एवं प्रदेश के सभी जनपदों पर जिला स्तरीय समिति को सुचारू रूप से क्रियाशील किये जाने हेतु निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें—

- चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम 1971 एवं अमेन्डमेन्ट 2002-03 के अनुपालन में मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति (डी०एल०सी०) का गठन हो गया है एवं नियमित बैठकें की जायें।
- सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान करने वाले केन्द्रों (सरकारी व गैरसरकारी) की सूची जनपद कार्यालय पर उपलब्ध रहे।

- नवीन केन्द्रों के परीक्षण व पंजीकरण में विलम्ब न करते हुए नवीन सरकारी व गैरसरकारी सुरक्षित गर्भपात सेवाप्रदाताओं के पंजीकरण हेतु ससमय एवं नियमित रूप से कार्यवाही की जाये।
 - 12-20 सप्ताह तक की सुरक्षित गर्भपात सेवायें प्रदान करने वाले स्वास्थ्य केन्द्रों/क्लीनिकों का पृथक से पंजीकरण कर मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय पर सूची प्रदर्शित की जाये।
 - सभी सरकारी व गैरसरकारी पंजीकृत सेवा केन्द्र नियमित रूप से मासिक रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय को प्रेषित करें।
2. सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की मासिक/त्रैमासिक रिपोर्टिंग एवं सुरक्षित गर्भपात सेवा प्रदान कर रही चिकित्सा इकाईयों पर उपलब्ध कराये जाने वाले सभी प्रारूपों की प्रति संलग्नक-2 पर प्रेषित की जा रही है जो इस प्रकार है-
- प्रारूप क (स्थान के अनुमोदन के लिये आवेदन का प्रपत्र)
 - प्रारूप ख (अनुमोदन का प्रमाण-पत्र)
 - प्रारूप ग (सहमति प्रपत्र)
 - प्रारूप 1 (सलाह प्रपत्र)
 - प्रारूप 2 (इकाई के प्रभारी द्वारा मासिक रिपोर्टिंग का प्रारूप)
 - प्रारूप 3 (पी०पी०ओ०टी० पर दाखिला रजिस्टर का प्रारूप)–सेवा प्रदाता द्वारा प्रभारी चिकित्सा इकाई को रिपोर्टिंग हेतु दाखिला रजिस्टर को इस प्रकार बनवाया जाये कि उसकी एक प्रति सेवा प्रदाता के पास पी०पी०ओ०टी० में ही रखी जाये। प्रभारी चिकित्सा इकाई एवं मुख्य चिकित्साधिकारी के पास इकाईवार चिकित्सकीय गर्भपात की संख्या व अन्य विस्तृत जानकारी प्रेषित करते समय महिला का नाम व पता नहीं बताया जायेगा। चिकित्सकीय गर्भपात एक गोपनीय प्रक्रिया है अतः लाभार्थी के विषय में जानकारी सिवाय कोर्ट आदि के किसी को भी उजागर नहीं की जायेगी।
 - जिला स्तरीय समिति के द्वारा एम०टी०पी० साइट के निरीक्षण व अनुश्रवण हेतु प्रारूप
 - सेवा प्रदाता इकाईयों पर रिकार्ड व्यवस्थित रखने हेतु फैसिलिटी लॉग बुक रजिस्टर।
- उपर्युक्त प्रारूप की जानकारी सभी जनपदों को 8-9 अप्रैल 2013 को राज्य स्तर पर आयोजित कार्यशाला में उपलब्ध करायी गयी थी। सुलभ सन्दर्भ हेतु पत्र के साथ सभी प्रारूपों की प्रति संलग्न कर पुनः प्रेषित हैं (संलग्नक-2)। भारत सरकार द्वारा जिला स्तरीय समिति के स्तर पर कन्टेन्जेन्सी की व्यवस्था हेतु चिकित्सा इकाई पर उपलब्ध आर०क०एस० अथवा अनटाइड फन्ड से धनराशि व्यय किया जाना स्वीकृत किया गया है।
3. प्रत्येक जनपद पर डी०एल०सी० द्वारा सेवा प्रदाता इकाईयों (निजी एवं सरकारी) पर तैनात अधिकृत चिकित्सकों/स्टाफ नर्सों को चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम 1971 व अमेन्डमेन्ट 2002 व 2003 के अनुरूप दस्तावेजों की व्यवस्था व इकाईयों पर सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियमित बैठकें की जायेगी। इस कार्य के लिये प्रत्येक जनपद को रु० 20,000.00 प्रति जनपद की दर से धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
4. जिला स्तरीय समिति की त्रैमासिक अनुश्रवण बैठक हेतु रु० 5000.00 प्रति त्रैमास स्वीकृत किये गये हैं। इस प्रकार रु० 20,000.00 प्रति जनपद स्वीकृत हैं। इस बैठक का उद्देश्य सभी अधिकृत सेवा प्रदाता इकाईयों के प्रभारियों के साथ चर्चा परिचर्चा के माध्यम से कार्यक्रम को गति प्रदान किया जाना है। प्रदेश

में जनपद कौशाम्बी, चित्रकूट, अमेठी, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, सत्त कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, औरैया, भदोही, सोनभद्र, चन्दौली में चिकित्सकीय गर्भपात की उपलब्धि शून्य है। इन जनपदों में जिला स्तरीय समितियों को युद्ध स्तर पर इस कार्यक्रम को सक्रिय करने हेतु कार्य करना होगा।

5. सुरक्षित गर्भपात सेवाओं हेतु औषधियों व कन्ज्यूमेबल्स की व्यवस्था—

- वर्ष 2013–14 में जनपदों की माँग के आधार पर कुल 866 एम०वी०ए० (जनपदवार फॉट संलग्नक–1 कॉलम–2) सीरिज क्रय किये जाने हेतु रु०–2500.00 प्रति किट की दर से धनराशि उपलब्ध कराई जा रही है।
- महानिदेशक परिवार कल्याण के स्तर से लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदेश की जिला स्तरीय L-3 चिकित्सा इकाईयों पर मेडिकल एबॉर्शन (MMA) की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये रु० 200.00 प्रति मेडिकल एबॉर्शन (MMA) की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिला स्तरीय समिति की बैठक में अपने जनपद में जिला महिला चिकित्सालय एवं सुरक्षित गर्भपात सेवायें प्रदान कर रही अन्य जिला स्तरीय चिकित्सा इकाईयों के प्रभारियों के साथ बैठक कर उनसे मेडिकल एबॉर्शन (MMA) की औषधियों की आवश्यकता का आँकलन कर माँग पत्र प्राप्त कर लें। चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम 1971 के अमेन्डमेन्ट 2002 व 2003 के अनुसार मेडिकल एबॉर्शन की औषधियाँ खरीद के लिये महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये रेट कॉन्ट्रैक्ट पर क्रय की जायेंगी।
- एम०वी०ए० / ई०वी०ए० एवं गर्भपात पश्चात चिकित्सा हेतु उपयोग होने वाली औषधियों एवं कन्ज्यूमेबल्स प्रसव इकाईयों के लिये प्रस्तावित ई०डी०एल० में सम्मिलित हैं अतः जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत औषधियों व कन्ज्यूमेबिल्स के लिये उपलब्ध कराई गयी धनराशि से क्रय कर सेवा प्रदाता इकाईयों को प्रदान की जा सकती हैं।

6. सुरक्षित गर्भपात सेवाओं हेतु प्रशिक्षण —

- अपने जनपद में चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम 1971 के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये इच्छुक चिकित्सकों (निजी एवं राजकीय क्षेत्र से) से आवेदन पत्र प्राप्त कर लें। इनका प्रशिक्षण जिला महिला चिकित्सालय पर पूर्व से अधिकृत स्त्री रोग विशेषज्ञ के अधीन सम्बद्ध कर पूर्ण करायें। इस प्रशिक्षण के लिये कोई मानदेय देय नहीं है। अधिनियम के अनुरूप प्रशिक्षण पूर्ण करने पश्चात प्रशिक्षक द्वारा प्रश्नगत प्रशिक्षु को चिकित्सकीय गर्भपात अधिनियम 1971 के अन्तर्गत अधिकृत करने हेतु डी०एल०सी० को संस्तुति प्रेषित की जायेगी।
- पूर्व से प्रशिक्षित व अधिकृत सेवा प्रदाताओं को एम०एम०ए० / एम०वी०ए० विधि पर रिफ्रेशर प्रशिक्षण के लिए नामांकन कर राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान एवं एस०पी०एम०य० कार्यालय को सूचना भेज दें जिससे इन अधिकारियों को प्रदेश के 10 चिन्हित जिला महिला चिकित्सालयों पर प्रशिक्षण हेतु भेजा जा सके।

7. अनुश्रवण एवं रिपोर्टिंग:-

कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के स्तर पर त्रैमासिक रिपोर्ट प्रेषित किये जाने हेतु प्राविधानित प्रारूप एनेक्जर-10 (संलग्नक–2) पर प्रत्येक त्रैमास के अन्त में 15 दिवसों के अन्दर रिपोर्ट एस०पी०एम०य० कार्यालय jointdirectorfw@gmail.com, uks1974@hotmail.com एवं vkssinghal033@gmail.com पर प्रेषित की जानी है। मासिक रिपोर्ट परिवार कल्याण महानिदेशालय द्वारा प्राविधानित प्रारूपों पर पूर्वत किया जायेगा।

8. जनपदों को अवमुक्त की जाने वाली धनराशि की फांट / वित्तीय व्यवस्था



- मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वीकृत धनराशि से महानिदेशालय से उपलब्ध कराए गए रेट कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सुरक्षित गर्भपात सेवाओं हेतु औषधियाँ एवं एम०टी०ए० सीरिज क्रय कर संलग्नक-१ के अनुसार अपने जनपद की क्रियाशील सेवा प्रदाता इकाइयों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- सभी उपार्जनों हेतु भारत सरकार द्वारा प्रेषित वित्तीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायगा एवं सम्बन्धित समस्त भौतिक एवं वित्तीय अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जाय।
- किसी भी स्थिति में कोई भुगतान नगद नहीं किया जायगा।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरानत ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।
- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कॉन्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिट, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाये।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक—यथोक्त।

भवदीय

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक
तददिनांक।

पत्रांक—एसपीएमयू/मा०स्वा०/सु०गर्भ०से०/104/2013-14/

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने स्तर से भी जनपदों को समुचित दिशा-निर्देश प्रेषित करें।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
5. वित्त नियंत्रक— एन०आर०एच०एम०, एस०पी०एम०य० उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०आर०एच०एम०, एस०पी०एम०य० उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिला परियोजना प्रबन्धक, एन०आर०एच०एम०, एस०पी०एम०य० उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

प्रारूप—क

स्थान के अनुमोदन के लिए आवेदन का प्रपत्रः

(धारा 4 के खंड (ख) के अधीन)[नियम 5 का उपनियम (2) देखिए]

अनुमोदित जगह का प्रवर्ग

(अ) 12 सप्ताह तक के गर्भ का समापन किया जा सकता है।

(आ) 20 सप्ताह तक के गर्भ का समापन किया जा सकता है।

1. स्थान का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
2. पूरा पता
3. गैर—सरकारी/प्राइवेट/नर्सिंग होम/अन्य संस्थाएं
4. कृपया बताइए कि क्या इस स्थान पर निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध हैं—

प्रवर्ग अ

1. परीक्षण के लिए टेबल।
- 2- Resuscitation के उपकरण।
- 3- निर्जीवाणुकरण (sterilization)
- 4- शॉक एवं आपात स्थिति के लिए सुविधाएं एवं औषधियां।
- 5- परिवहन के लिए सुविधाएं, यदि अपेक्षित हों।

प्रवर्ग आ

1. शल्य क्रिया हेतु टेबल और शल्य—चिकित्सा करने के लिए उपकरण
2. आपात दशाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में औषधियां
3. निश्चेतक
4. Resuscitation के उपकरण।
5. निर्जीवाणुकरण (Sterilization) की सामग्री।

स्थानः

तारीखः

संस्थान के प्रमुख के हस्ताक्षर

प्रारूप—ख्व
अनुमोदन का प्रमाण—पत्र
[नियम 5 का उपनियम (6) देखिए]

नीचे वर्णित स्थान को गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 (1971 के 34) के प्रयोजनार्थ——
सप्ताह के गर्भ समापन के लिए अनुमोदित किया जाता है।

स्थान का नाम

पता तथा अन्य वर्णन

संस्थान के प्रमुख का नाम

स्थान:

तारीखः

उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में

प्रारूप—ग
सहमति प्रपत्र (Consent Form)

मैं _____ पुत्री/पत्नी _____
आयु लगभग _____ वर्ष जो इस समय _____
(यहां स्थायी पता लिखिए) मे निवास करती हूँ

(उस स्थान का नाम लिखिए जहां गर्भ का समापन किया जाना है)
मैं अपने गर्भ के समापन के लिए अपनी सहमति देती हूँ

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

(जहां स्त्री मानसिक रूप से अस्वस्थ्य या 18 वर्ष से कम उम्र की हों, वहां उसके संरक्षक द्वारा भरा जाए)

मैं _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी _____
आयु लगभग _____ वर्ष जो इस समय _____
(रथानीय पता) मे निवास करता/करती हूँ अपनी
प्रतिपाल्य _____ जो
अवयरस्क / मानसिक रूप से अस्वस्थ्य या 18 वर्ष से कम उम्र की हैं _____
मे गर्भ के समापन के लिए अपनी सहमति देता/देती हूँ।
(गर्भ का समापन करने का स्थान)

रथान:

तारीख:

संरक्षक का हस्ताक्षर

प्रारूप-1

सलाह प्रपत्र (Opinion form)
चिकित्सकीय गर्भसमापन विनियम, 2003
(विनियम 3 देखिए)

मैं

(पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम और अर्हताएं स्पष्ट अक्षरों में)

मैं

(पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का पूरा पता)

(पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का नाम और अर्हताएं स्पष्ट अक्षरों में)

(पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का पूरा पता)

प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि मेरी/हमारी राय में, जो सदभावपूर्वक बनाई गई है

(गर्भवती स्त्री का पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में)

निवासी

(निवासी का पूरा पता स्पष्ट अक्षरों में)

का गर्भ समापन करना निम्नलिखित कारणों**से आवश्यक है। मैं/हम* यह सूचना देता हूँ/देते हैं कि मैंने/हमने* निर्दिष्ट स्त्री, जिसकी अस्पताल/अनुमोदित स्थान के दाखिला रजिस्टर में क्रम संख्या— हैं, के गर्भ का समापन किया है।

स्थान:

तारीख:

पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी/व्यवसायियों के हस्ताक्षर-1

पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी/व्यवसायियों के हस्ताक्षर-2

*जो लागू न हो उसे काट दें।

** क्रम संख्या 1 से 5 तक विनिर्दिष्ट कारणों में से वह एक लिखिए जो समुचित हो।

- 1) गर्भवती स्त्री के जीवन की रक्षा के लिए।
- 2) गर्भवती स्त्री के शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को होने वाली गंभीर क्षति से बचाव हेतु।
- 3) इस दृष्टि से कि इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित होगा कि जैसे वह गंभीर रूप से विकलांग हो।
- 4) इसलिए कि गर्भवती स्त्री का यह अभिकथन है कि गर्भ बलात्संग द्वारा हुआ है।
- 5) इसलिए कि गर्भधारण, बच्चों की संख्या सीमित रखने के प्रयोजन से विवाहित स्त्री या उसके पति द्वारा प्रयोग में लायी गयी किसी गर्भ निरोधक साधन या तरीके की विफलता के फलस्वरूप हुआ है।

टिप्पणी- यह अवधारणा करने के लिये कि उसके गर्भ के बने रहने से गर्भवती स्त्री के शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुँचेगी, उस स्त्री की वास्तविक अथवा युक्तियुक्त पूर्व परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाय।

स्थान.....

दिनांक.....

पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी/व्यवसायियों के हस्ताक्षर

प्रारूप-2

इकाई के प्रभारी द्वारा मासिक रिपोर्टिंग का प्रारूप

(विनियम 4(5) देखिए)

1. राज्य का नाम
2. अस्पताल/अनुमोदित स्थान का नाम
3. गर्भ की अवधि (केवल कुल संख्या दीजिए)
 - (क) 12 सप्ताह तक.....
 - (ख) 12-20 सप्ताहों के बीच.....
4. स्त्री का धर्म
 - (क) हिन्दु.....
 - (ख) मुसलमान.....
 - (ग) इसाई.....
 - (घ) अन्य.....
 - (ङ.) कुल.....
5. गर्भ निरोधक की स्वीकृति देते हुए समापन
 - (क) नसबन्दी.....
 - (ख) आई. यू. डी. (लूप).....
 - (ग) गर्भ निरोधक गोलियाँ.....
 - (घ) निरोध (कंडोम).....
 - (ङ.) अन्य.....
6. समापन के कारण
 - (क) गर्भवती स्त्री के जीवन को खतरा.....
 - (ख) गर्भवती स्त्री के शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति.....
 - (ग) गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति.....
 - (घ) बलात्संग द्वारा हुआ गर्भ.....
 - (ङ.) इस बात का पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ, तभी ऐसी शारीरिक या मानसिक असामान्यताओं से पीड़ित होना शारीरिक वह गंभीर रूप से विकलांग हो?.....
 - (च) किसी गर्भ निरोधक साधन अथवा तरीके की विफलता.....

प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर और तारीख

प्रारूप-3

दाखिला रजिस्टर (Admission Register) (विनियम 5 देखिए)

(इस रजिस्टर में अंतिम प्रविष्टि की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर इसे नष्ट कर दिया जाए)

क्र.सं.	दाखिले की तारीख	महिला का नाम	पत्नी/पुत्री	आयु	धर्म	पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

गर्भ की अवधि	गर्भ समापन के कारण	गर्भ समापन की तारीख	महिला को छुट्टी देने की तारीख	परिणाम और टिप्पणी	पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का/व्यवसायियों के नाम जिसके/जिनके द्वारा राय कायम की गई है	उस पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का/व्यवसायियों के नाम जिसके/जिनके द्वारा गर्भ का समापन किया गया है
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

Annexure-X

Comprehensive Abortion Care
State Monitoring Format (Quarterly)

Please do not modify/ change (add/ delete columns) the format

Name of State/U.T:

Month and Year of reporting:

Number of districts in the State:

Reporting period to.....
(Specify the quarter)

Name of State Nodal Officer for MTP activities:

Designation and Contact Number:

Email-id:

1) District level indicators:

S.No	Indicator	Numbers
1.	Districts in which Comprehensive Abortion Care (CAC)-Training and Service Delivery Guidelines are available.	
2.	District Level Committees (DLCs)*	Districts With DLCs. Districts with regular DLC meeting held in the reporting period (at least one meeting/ month)
3.	Approved NGO & Private clinics and hospitals	a) Approved by DLCs to provide safe abortion services. b) Renewal certificates issued in the reporting period c) New certificates issued in the reporting period d) Number of applications pending with the DLCs for one year (at end of reporting period) e) Number of new applications received in the reporting period f) Number of applications out of the new applications (e) pending with the DLCs at the end of the reporting period**

- Is MVA equipment being procured and supplied? (Y/N).....
- Are the drugs for MMA included in the essential drug list? (Y/N).....

* As per MTP Act, Rules and Regulations 2002-2003

**Applications on which no action has been taken (as per MTP Rules).

2) Capacity building:

- Name of the Nodal agency/ department/ any agency under PPP for training:.....

S. No	Indicator	Numbers
1	Training sites	Medical Colleges conducting training District Hospitals conducting training Any other facilities including private hospitals /NGO hospitals conducting training
2	Training	Training Load (Cumulative since April 2005) MOs trained (Cumulative since April 2005)

		MOs trained in the reporting period (six months)	
		Target for current year	
3.	Master trainers trained (Cumulative since April 2005)		
4.	ANMs and Staff Nurses trained to provide confidential counselling for MTP and post-abortion care. (Cumulative since April 2005)		
5.	ANMs, and Staff Nurses trained to provide confidential counselling for MTP and post-abortion care in the reporting period		
6.	ASHAs and other field functionaries trained to provide confidential counselling for MTP and post-abortion care. (Cumulative since April 2005)		
7.	ASHAs and other field functionaries trained to provide confidential counselling for MTP and post-abortion care in the reporting period		

3) IEC/BCC: Does the state have an IEC/BCC plan for the following :

S.No	Subject	Please specify frequency of IEC/BCC activities
1.	On the legality of MTP.	Print: Audio: Video: Any other (specify):
2.	On sex determination preceding MTP as an offence.	Print: Audio: Video: Any other(specify):
3.	On mandatory requirements for approval of private/NGO service delivery sites.	Print: Audio: Video: Any other (specify):
4.	On MTP service availability at nearest facility in public and private sector.	Print: Audio: Video: Any other (specify):

4) Supportive Supervision:

S.No	Indicator	Remarks
1	What is the supportive supervision/monitoring mechanism for post training follow up and quality of MTP service delivery?	
2	If there is no mechanism, what is the state's plan for 1) and the proposed timeline?	

5) Biomedical Waste Management:

- What is the mechanism of disposal of products of conception?
- Is this mechanism in accordance with CAC guidelines? (Y/N).....
- Whether implemented in all the districts? (Y/N).....

6) Service Availability and Service Utilisation:

S.N	Facility	Availability				Utilisation				Number of MTPs performed in the reporting quarter
		Total Health facilities in the State	With MTP Drugs*	With MTP Equipments*	With Trained providers (MTP)	Having all three (MTP) - drugs, equipment and trained provider.	Institutions providing MTP services	Providing MTPs up to 8 weeks only	Providing MTPs up to 12 weeks only	
1	Medical colleges									
2	District Hospitals including <i>Women and Children Hospitals</i>									
3	Sub Divisional Hospitals									
4	CHCs (FRUs) & Other sub district level Hospitals									
5	24 x 7 PHCs, Non FRU CHCs									
6	Other PHCs									
7	Approved NGO & Private clinics and hospitals									

*for the list of drugs and equipments refer to Chapter 8 of CAC guidelines.

7) Information on CAC Services at Delivery Points:

Type of Health Facility	Availability: Number of institutions providing services		Utilisation: Number of MTPs performed-any method
	Up to 12 weeks only	Up to 20 weeks : Both 1 st and 2 nd trimester	
Government (Total)			
Private certified (Total)			
“Delivery Points” providing services.			
PHCs/non FRU CHCs			
FRUs(CHCs, SDH etc.)			
DHS /DWH etc.			
Medical Colleges			
Private certified			

- 8) Remarks, if any (Any constraints in implementation of 1, 2, 3, 4, 5, 6 and action taken by State).....**
Note: The format to be send every quarter i.e. Q1(April- Jun), Q2(Jul-Sep), Q3(Oct- Dec), Q4(Jan-Mar)

District wise Budget Allocation for Comprehensive Abortion Care services for year 2013-14

Sino	District	No. of MVA kits approved	Unit Cost (Rs)	Budget (Rs. Lakhs)	No. of MMA estimated in year 2013-14	Unit Cost (Rs)	Budget (Rs. Lakhs)	Budget for meetings & orientation	Total Budget under safe abortion services in lakh Rs.
	FMR Code		B16.1.1.2		B.16.2.1.2		A.1.1.3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Agra	4	2500	0.10	997	200	1.994	0.20	2.29
2	Firozabad	10	2500	0.25	664	200	1.328	0.20	1.78
3	Mainpuri	10	2500	0.25	100	200	0.2	0.20	0.65
4	Mathura	20	2500	0.50	166	200	0.332	0.20	1.03
5	Allahbad	5	2500	0.13	332	200	0.664	0.20	0.99
6	Fatehpur	10	2500	0.25	598	200	1.196	0.20	1.65
7	Kausambi	2	2500	0.05	17	200	0.034	0.20	0.28
8	Pratapgarh	10	2500	0.25	498	200	0.996	0.20	1.45
9	Aligarh	13	2500	0.33	831	200	1.662	0.20	2.19
10	Etah	8	2500	0.20	133	200	0.266	0.20	0.67
11	Hathras	8	2500	0.20	664	200	1.328	0.20	1.73
12	Kasganj	0	2500	0.00	50	200	0.1	0.20	0.30
13	Azamgarh	10	2500	0.25	50	200	0.1	0.20	0.55
14	Balia	5	2500	0.13	17	200	0.034	0.20	0.36
15	Mau	5	2500	0.13	33	200	0.066	0.20	0.39
16	Bandau	20	2500	0.50	831	200	1.662	0.20	2.36
17	Bareilly	20	2500	0.50	365	200	0.73	0.20	1.43
18	Pilibhit	10	2500	0.25	33	200	0.066	0.20	0.52
19	Shanjhapur	20	2500	0.50	831	200	1.662	0.20	2.36
20	Basti	5	2500	0.13	33	200	0.066	0.20	0.39
21	SK nagar	5	2500	0.13	17	200	0.034	0.20	0.36
22	Sidharthnagar	5	2500	0.13	17	200	0.034	0.20	0.36
23	Banda	8	2500	0.20	66	200	0.132	0.20	0.53
24	Chitrkoot	0	2500	0.00	33	200	0.066	0.20	0.27
25	Hamirpur	4	2500	0.10	897	200	1.794	0.20	2.09
26	Mahoba	5	2500	0.13	66	200	0.132	0.20	0.46
27	Bahraich	22	2500	0.55	997	200	1.994	0.20	2.74
28	Shrawasti	0	2500	0.00	17	200	0.034	0.20	0.23
29	Balrampur	10	2500	0.25	17	200	0.034	0.20	0.48
30	Gonda	10	2500	0.25	133	200	0.266	0.20	0.72
31	Sultanpur	10	2500	0.25	166	200	0.332	0.20	0.78
32	Ambedkarnagar	10	2500	0.25	17	200	0.034	0.20	0.48
33	Amehti	7	2500	0.18	17	200	0.034	0.20	0.41
34	Barabanki	7	2500	0.18	432	200	0.864	0.20	1.24
35	Faizabad	10	2500	0.25	33	200	0.066	0.20	0.52
36	Mahrajganj	10	2500	0.25	17	200	0.034	0.20	0.48
37	Devoria	10	2500	0.25	166	200	0.332	0.20	0.78
38	Gorakhpur	10	2500	0.25	233	200	0.466	0.20	0.92
39	Kushinagar	5	2500	0.13	17	200	0.034	0.20	0.36
40	Lalitpur	3	2500	0.08	33	200	0.066	0.20	0.34
41	Jalaun	3	2500	0.08	432	200	0.864	0.20	1.14
42	Jhansi	3	2500	0.08	332	200	0.664	0.20	0.94
43	Kanpur nagar	60	2500	1.50	997	200	1.994	0.20	3.69
44	Auraia	10	2500	0.25	166	200	0.332	0.20	0.78
45	Etawah	10	2500	0.25	199	200	0.398	0.20	0.85

Sino	District	No. of MVA kits approved	Unit Cost (Rs)	Budget (Rs. Lakhs)	No. of MMA estimated in year 2013-14	Unit Cost (Rs)	Budget (Rs. Lakhs)	Budget for meetings & orientation	Total Budget under safe abortion services in lakh Rs.
46	Farrukhabad	80	2500	2.00	432	200	0.864	0.20	3.06
47	Kannauj	10	2500	0.25	17	200	0.034	0.20	0.48
48	Kanpur dehat	2	2500	0.05	33	200	0.066	0.20	0.32
49	Kheri	15	2500	0.38	664	200	1.328	0.20	1.90
50	Hardoi	5	2500	0.13	432	200	0.864	0.20	1.19
51	Lucknow	120	2500	3.00	1329	200	2.658	0.20	5.86
52	Unnao	3	2500	0.08	664	200	1.328	0.20	1.60
53	Raiballyre	5	2500	0.13	332	200	0.664	0.20	0.99
54	Sitapur	9	2500	0.23	831	200	1.662	0.20	2.09
55	GB nagar	5	2500	0.13	166	200	0.332	0.20	0.66
56	Baghpat	0	2500	0.00	17	200	0.034	0.20	0.23
57	Bulandsahar	0	2500	0.00	664	200	1.328	0.20	1.53
58	Meerut	10	2500	0.25	2326	200	4.652	0.20	5.10
59	Ghaziabad	20	2500	0.50	664	200	1.328	0.20	2.03
60	Hapur	0	2500	0.00	166	200	0.332	0.20	0.53
61	Sambhal	2	2500	0.05	33	200	0.066	0.20	0.32
62	Amroha	10	2500	0.25	17	200	0.034	0.20	0.48
63	Bijnaur	20	2500	0.50	332	200	0.664	0.20	1.36
64	Moradabad	10	2500	0.25	498	200	0.996	0.20	1.45
65	Rampur	10	2500	0.25	100	200	0.2	0.20	0.65
66	Shamli	5	2500	0.13	33	200	0.066	0.20	0.39
67	Muzzafernagar	10	2500	0.25	664	200	1.328	0.20	1.78
68	Saharanpur	20	2500	0.50	332	200	0.664	0.20	1.36
69	Varanasi	20	2500	0.50	664	200	1.328	0.20	2.03
70	Chandauli	10	2500	0.25	17	200	0.034	0.20	0.48
71	Ghazipur	10	2500	0.25	166	200	0.332	0.20	0.78
72	Jaunpur	10	2500	0.25	332	200	0.664	0.20	1.11
73	Sonbhadra	3	2500	0.08	33	200	0.066	0.20	0.34
74	Bhadohi	0	2500	0.00	17	200	0.034	0.20	0.23
75	Mirzapur	10	2500	0.25	265	200	0.53	0.20	0.98
Total		866	2500	21.65	25000	200	50	15.00	86.65